

तारीख बुध्न	बुध्न वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अलफाबेट बुध्न को में जारी कय
10/5/24	पत्रावली बेश हर्ड / अधिवक्तागण श्राविक का... वास्ते... को पेश हो। 6/5/24	
01/5/24	पत्रा. पत्रा बुध्न 20/4/24 की वष ले / Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
24/4/24	पत्रा. पेश। वादी का बाद 24/23 से ललली में चल रहा है 23/9/24 को प्रतिवादी 4-10 के द्वारा धारा 11 में प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो स्वीकार किया गया। चूंकि बाद में अन्य मुद्दे का भी वर्णन है अतः बाकी मुद्दे के लिए बाद continue रखा गया। वादी के बाद का अवलोकन किया गया। चूंकि T.I urgent nature की होती है अतः तीन साल के बाद इसकी आवश्यकता का अवलोकन किया। वादी का कथन है कि इसकी ग्राम गुन्दी खाता संख्या 125 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2, ग्राम फतेहपुर में खाता संख्या 53 में हिस्सा 1/4, ग्राम फतेहपुर खाता संख्या 30 हिस्सा 1/2 व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>ग्राम फतेहपुर खाता संख्या 148 हिस्सा सम्पूर्ण व ग्राम खैसबाद खाता संख्या 1218 हिस्सा सम्पूर्ण का बालेदार दौखित किया जावे व हिस्से नुसार बटवारा किया जावे।</p> <p>प्रार्थी ने यह हिस्से का दावा माहित करने के लिए कोई उचित कारण नहीं दिया है। वादी का यह कथन है कि अप्रार्थी 1-3 की शादी हो चुकी है व ससुराल जाने के बाद उन्होंने यह हिस्सा त्याग दिया था परन्तु भाई-बहन होने के नाते कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई।</p> <p>वादी का अस्थाई निवेदाज्ञा का न ही प्रथम दृष्टिया बाद बनता है न ही सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है।</p> <p>अतः वादी का प्रार्थना पत्र धारा 212 निरस्त किया जाता है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 27/4/26 को सुनाया गया।</p> <p>पञ्चवली केसल शुगर होकर दाखिल पत्रर ही।</p>	

Che

उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी